भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3408
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

आईसीडीएस के तहत निधियों का उपयोग

3408. **श्री जी. कुमार नायकः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2004-05 से 2024-25 की अवधि के दौरान समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के अंतर्गत आवंटित, जारी की गई तथा व्यय की गई निधियों का वर्ष-वार एवं राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने योजना के लागू वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार अपने निर्धारित/अनिवार्य अंशदान का योगदान किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ने उक्त योजना के अंतर्गत अपने निर्धारित/अनिवार्य अंशदान से अधिक व्यय किया है, यदि हाँ, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार एवं वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने वर्ष 2015-16 से इस प्रकार किए गए अतिरिक्त व्यय के कारणों का कोई आकलन किया है, यदि हाँ, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 एक सतत योजना है, जिसके सफल कार्यान्वयन तथा अंतिम लाभार्थियों को दक्षतापूर्वक लाभ प्रदान करने हेतु निरंतर पुनर्गठन

एवं संरचनात्मक परिवर्तन किए जाते हैं। 15वें वित्त आयोग में विभिन्न घटकों जैसे; (i) 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा किशोरियों के लिए पोषण सहायता; (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा; तथा (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका कार्यान्वयन वर्ष 2021-22 से किया जा रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आता है। मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य निम्नलिखित लागत-साझाकरण अनुपात में सहायता अनुदान जारी किए जाते हैं:

आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत घटक			
	सामान्य	वेतन	एसएनपी और एसएजी
विधानमंडल वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	60:40	लागू नहीं	50:50
पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्य (जम्मू-कश्मीर सहित)	90:10	90:10	90:10
विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	100:0	लागू नहीं	100:0

इसके अतिरिक्त, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सामान्य एवं एसएनपी घटकों के अंतर्गत अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन राशि एवं टॉप-अप भी प्रदान करते हैं, जो राज्य-वार भिन्न-भिन्न होते हैं। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राज्य-वार एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत पूर्व में निधियां एसएनए मॉड्यूल के माध्यम से जारी की जाती थीं। एसएनए मॉड्यूल में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उक्त योजना के लागू वित्तपोषण पैटर्न के अंतर्गत अपने निर्धारित/अनिवार्य अंशदान के पश्चात ही अगली किस्त जारी की जाती थी। वर्तमान में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 को दिनांक 01.11.2025 से एसएनए स्पर्श में शामिल किया गया है, जो 'जस्ट-इन-टाइम' पद्धति पर कार्य करता है।

अनुलग्नक

'आईसीडीएस के तहत निधियों का उपयोग' विषय पर पूछे गए दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3408 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(करोड़ रुपये में)

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जारी और उपयोग की गई निधि।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26
		जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19.71	13.36	3.85	5.17	12.15	11.06	9.63	9.21	8.10
2	आंध्र प्रदेश	744.60	749.91	827.79	721.45	705.68	734.52	645.73	641.23	759.76
3	अरुणाचल प्रदेश	170.83	230.77	137.78	145.74	162.06	139.34	102.61	99.58	118.5
4	असम	1319.90	1432.19	1651.63	1717.00	2233.31	2804.16	2482.34	2605.14	1548.67
5	बिहार	1574.43	1608.02	1740.09	1586.61	1859.29	1703.55	2262.92	1659.24	905.43
6	चंडीगढ़	15.32	23.09	33.10	33.10	19.79	19.26	14.56	14.31	9.87
7	छत्तीसगढ़	606.73	522.72	668.96	571.80	579.46	664.31	733.30	730.29	518.22
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	9.33	9.56	5.80	5.80	11.97	11.57	9.13	9.07	5.92
9	दिल्ली	133.11	125.52	182.77	142.84	161.81	135.31	160.41	152.34	150.21
10	गोवा	10.84	12.92	14.71	16.83	13.95	12.22	13.44	11.52	19.74
11	गुजरात	839.86	757.92	912.64	552.30	1126.80	658.81	601.32	598.35	699.13
12	हरियाणा	173.03	146.99	195.25	150.24	225.78	183.94	232.69	212.49	67.12
13	हिमाचल प्रदेश	247.99	386.68	270.24	247.76	301.09	146.69	313.07	311.04	328.59
14	जम्मू और कश्मीर	405.74	704.57	479.01	416.23	530.88	595.21	662.79	634.78	401.62
15	झारखंड	352.98	183.30	430.91	596.03	664.30	560.25	496.95	465.21	429.26

16	कर्नाटक	1003.70	984.62	765.87	885.65	912.96	729.26	886.85	875.36	863.64
17	केरल	388.23	397.98	444.98	325.43	306.64	359.22	435.74	429.54	283.81
18	लद्दाख	14.70	14.67	18.79	18.79	19.62	18.06	18.89	18.49	16.41
19	लक्षद्वीप	2.11	2.73	0.44	0.44	2.88	2.73	1.35	1.24	0.82
20	मध्य प्रदेश	1085.47	1055.83	1011.57	1038.67	1123.11	1048.42	1144.54	1123.54	937.45
21	महाराष्ट्र	1713.39	1609.02	1646.17	1589.97	1699.52	1219.66	1368.84	1354.26	1405.45
22	मणिपुर	228.92	177.28	135.95	167.74	201.28	224.68	342.87	316.82	199.99
23	मेघालय	173.33	177.86	192.39	200.24	269.69	193.30	137.93	135.26	182.04
24	मिजोरम	59.32	61.57	42.81	46.65	100.27	72.19	55.29	54.26	52.69
25	नागालैंड	159.80	160.21	199.30	190.47	262.91	209.24	147.01	146.32	146.29
26	ओडिशा	1065.98	871.20	923.92	884.92	968.80	891.06	948.16	906.51	911.27
27	पुद्दुचेरी	2.78	6.13	0.12	6.68	4.48	8.35	3.68	3.65	4.02
28	पंजाब	383.52	177.94	75.31	247.25	307.87	220.55	265.48	262.45	190.73
29	राजस्थान	682.65	771.64	974.02	936.17	1091.96	880.87	741.85	735.82	843.51
30	सिक्किम	25.73	24.59	20.33	24.09	33.49	23.77	18.07	18.02	18.21
31	तमिलनाडु	655.38	681.28	766.81	741.30	880.79	662.40	638.47	632.41	636.6
32	तेलंगाना	482.33	479.30	550.69	503.33	507.87	522.99	430.76	419.75	209.2
33	त्रिपुरा	186.72	171.66	150.52	186.55	244.22	211.20	153.41	145.25	154.73
34	उत्तर प्रदेश	2407.55	2341.91	2721.87	2622.64	2668.69	2510.27	2694.62	2498.26	2145.42
35	उत्तराखंड	353.65	336.03	425.84	364.77	288.24	426.34	216.33	207.52	271.05
36	पश्चिम बंगाल	668.35	1378.31	1227.59	1455.89	1237.56	1522.40	1513.80	1497.52	1333.9
कुल		**18368.01**	**18789.28***	**19849.82**	**19346.54**	**21741.17**	**20337.16**	**20904.83**	**19936.05**	**16777.37**

***** इसमें पिछले वर्षों की शेष राशि से किया गया व्यय भी सम्मिलित है।
